# इकाई – 3
# पर्यावरण कानून और अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाएं
# (Environmental Laws and International Conventions)

## परिचय (Introduction)

पर्यावरण संरक्षण की समस्या आज विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। विश्व का लगभग हर देश इस समस्या के समाधान के लिए अलग–अलग तरीके से प्रयासारत है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये गये। समय–समय पर विभिन्न कानून भी बनाये गये। संविधान के अनुच्छेद 48–क में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार ''राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।'' इसी प्रकार अनुच्छेद 51–क में पर्यावरण संरक्षण को नागारिकों का मूल कर्त्तव्य मानते हुए यह प्रावधान किया गया है कि ''भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।'' इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है–

## 48। अनुच्छेद (पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संरक्षण)
## Article 48A (The Protection and Improvement of Environment & Safe Guarding of Forest & Wildlife)

इस अनुच्छेद के अनुसार ''राज्य, देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

यह अनुच्छेद संविधान के बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अंतःस्थापित (Inserted) किया गया है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक में समाहित होने से राज्य पर यह संवैधानिक दायित्व डालता है कि वह ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके तथा वन्य जीवों और वन की रक्षा की जा सके। राज्यों को इस अनुच्छेद के अधीन यह शक्ति भी प्रदान है कि वह इस संबंध में विशेष विधियों का निर्माण कर सके।

## 51। अनुच्छेद (मूलभूत कर्तव्य)
## Article 51A (Fundamental Duties)

इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि ''वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। इस अनुच्छेद को भी संविधान के बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में अन्तःस्थापित किया गया है।

भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह संवैधानिक मूलभूत कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

हमारे देश में 200 से भी अधिक अधिनियम बने हैं। यहां हम निम्नांकित सात अधिनियमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे :

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
4. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972
5. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
6. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000
7. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कानून, 2010

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

[The Environment (Protection) Act, 1986]

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 19 नवम्बर, 1986 से लागू है। इस अधिनियम को चार अध्यायों एवं 26 धाराओं (sections)

में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में दो धाराएं हैं, द्वितीय में चार, तृतीय में 11 तथा चतुर्थ अध्याय में कुल नौ धाराएं हैं।

धारा 1 में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रवर्तन (commencement) दिया गया है।

धारा 2 में पर्यावरण से संबंधित शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है।

धारा 3 पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 4 अधिनियम की सफल क्रियान्विति करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां तथा कृत्य निर्धारण की शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 5 में निदेश देने की शक्तियां है।

धारा 6 केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करती है।

धारा 7 के अनुसार, उद्योग संक्रिया (operation) आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्सरण (discharge) की अनुज्ञा नहीं होगी।

धारा 8 के अनुसार परिसंकटमय पदार्थो (hazardous substances) से व्यवहार करने वाले व्यक्ति प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन करेंगे।

धारा 9 कतिपय मामलों में प्राधिकारियों (authorities) और अभिकरणों (agencies) को सूचनाएं देने का निर्णय करती है।

धारा 10 प्रवेश, तलाशी एवं निरीक्षण के बारे में प्रावधान करती है।

धारा 11 नमूना लेने तथा उसका विश्लेषण कराये जाने के बारे में प्रावधान करती है।

धारा 12 में हवा, जल, मिट्टी एवं अन्य पदार्थो के विश्लेषण एवं परीक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है।

धारा 13 में हवा, जल, मिट्टी एवं अन्य पदार्थो के विश्लेषण के लिए स्थापित या मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के लिए सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है।

धारा 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट के साक्ष्यिक मूल्य को सुनिश्चित करती है।

धारा 15 शास्ति (penalty) के बारे में प्रावधान करती है। इसके अनुसार –

(i) इस अधिनियम के उपबंधों, निर्धारित मानदण्डों या निदेशों का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष की कैद अथवा एक लाख रूपये जुर्माना।

(ii) उल्लंघन जारी रहने पर प्रति दिन पांच हजार रूपये तक अतिरिक्त जुर्माना तथा

(iii) दोष सिद्धि के पश्चात् एक वर्ष से अधिक समय तक ऐसा उल्लंघन जारी रहने पर सात वर्ष की सजा।

धारा 16 कम्पनियों द्वारा अपराध पर दण्ड निर्धारण का प्रावधान करती है।

धारा 17 में सरकारी विभागों द्वारा किये गये अपराध पर दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

धारा 18 नियमों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक कार्य करने वालों की वाद या विधिक कार्यवाही से रक्षा करती है।

धारा 19 अपराधों के संज्ञान (Cognizance of offences) के बारे में प्रावधान करती है।

धारा 20 सूचनाओं, रिपोर्टों व विवरणियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 21 में धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'लोकसेवक' घोषित किया गया है।

धारा 22 सिविल न्यायालय को अधिकारिता का अपवर्जन करती है।

धारा 23 केन्द्र सरकार को प्रत्यायोजन (delegation) की शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 24 में अन्य विधियों (other laws) के प्रभाव निहित है।

धारा 25 में केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गयी है।

धारा 26 में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम संसद के समक्ष रखे जाने का प्रावधान है।

## वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

## [The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981]

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 16 मई 1981 से लागू है। इसे वर्ष 1987 में संशोधित भी किया गया हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 54 धाराएं (Sections) हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

1. इस अधिनियम में वायु प्रदुषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड की व्यवस्था की गयी है। (धारा 3)
2. इसके अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है। (धारा 5)

3. राज्य सरकार को वायु प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने तथा उसमें ईंधन, उपकरण एवं उत्तेजन सामग्री के उपयोग को निषेधित करने की शक्तियां दी गयी हैं। (धारा 19)

4. किसी उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति को राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वायु प्रदुषणकारी के उत्सर्जन की अनुज्ञा नहीं होगी। (धारा 22)

5. राज्य बोर्ड द्वारा निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण (धारा 24) एवं वायु अथवा उत्सर्जन के नमूने लेने और उसके सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं (धारा 26) की शक्ति प्रदान की गयी है।

6. धारा 21 (कतिपय औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर निर्बन्धन) या धारा 22 के उपबंधों अथवा धारा 31 क (निर्देश देने की शक्तियां) के अधीन जारी किये गये निदेशों का पालन न करने पर प्रथम दोष पर डेढ़ वर्ष से छः वर्ष तक की कैद व पांच हजार रूपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान है। प्रथम दोष सिद्धि की तिथि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने की कारावास अवधि 2 से 7 वर्ष होगी एवं जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। (धारा 37)

7. इसके अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा अपराध (धारा 40) व सरकारी विभागों द्वारा अपराध (धारा 41) पर दंड का प्रावधान है।

8. यदि बोर्ड के कृत्य में बार–बार व्यतिक्रम आता है या यदि राज्य सरकार ऐसा समझती है कि यह लोकहित में आवश्यक हैं तो वह राज्य बोर्ड को एक वर्ष के लिए अतिष्ठित (supersede) कर सकती है। (धारा 47)

9. केन्द्र व राज्य सरकार को विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम बनाने की शक्तियों का प्रावधान है। (धारा 53 व 54)

## जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
## [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974]

इस अधिनियम को 23 मार्च 1974 से असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल (12 राज्यों) तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। जहां तक अन्य राज्यों में लागू होने का प्रश्न है, धारा 1 की उपधारा (2) में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अन्तर्गत संकल्प पारित कर इसे अपने राज्य क्षेत्र में लागू कर सकेगा। वर्ष 1978 व 1988 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में कुल आठ अध्याय व 64 धाराएं हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण करना, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाये रखना तथा जल को प्राकृतिक पूर्वावस्था में लाना है।

2. इस अधिनियम में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ 16 सदस्यीय केन्द्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का प्रावधान है (धारा 3 व 4), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अंशकालिक भी हो सकता है। बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगा (धारा 8), करार द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों आदि के लिए संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जा सकता है। (धारा 13)

3. जल प्रदूषण को रोकना अधिनियम का प्रमुख लक्ष्य है। ''एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया'' में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार ''कोई भी नया कारखाना प्रारम्भ किये जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक ऐसा कारखाना व्यावसायिक बहिःस्त्राव के निस्सरण की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था नहीं कर लेता है।

4. राज्य बोर्ड को बहिःस्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है।

5. राज्य बोर्ड या उसके सशक्त अधिकारी को किसी स्थान में प्रवेश तथा उसका निरीक्षण करने की शाक्तियां प्रदान की गयी हैं। (धारा 23)

6. प्रदूषण पदार्थ आदि के व्ययन (disposal) के लिए सरिता (stream) या कुंए के उपयोग पर प्रतिषेध (prohibition) है (धारा 24)। सरिता या कुएं के प्रदूषण की दशा में आपात उपायों की व्यवस्था की गयी है। (धारा 32)। ऐसे उपाय करने की अधिकारिता राज्य बोर्ड को प्रदान की गयी है।

7. जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के अधीन केन्द्रीय या राज्य बोर्डो के निदेशों की पालना में असफल रहने पर तीन मास से 7 वर्ष तक की अवधि तक कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किये जाने के व्यवस्था है (धारा 41)। कुछ परिस्थितियों में शास्ति (penalty) का भी प्रावधान है। कम्पनियों व सरकारी विभागों द्वारा किये गये अपराध पर दण्ड का प्रावधान है।

8. बोर्डो के कृत्यों में बार–बार व्यतिक्रम आने पर या लोकहित में आवश्यक होने पर केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय बोर्ड और संयुक्त बोर्डो तथा राज्य सरकार को राज्य बोर्ड को अतिष्ठित (supersede) करने की शक्ति प्रदान की गयी है। (धारा 61 एवं 62)

9. केन्द्रीय (धारा 63) व राज्य (धारा 64) सरकारों को क्रमशः केन्द्रीय व राज्य बोर्डो के परामर्श से नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गयी है।

## वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

## [The Wild Life (Protection) Act, 1972]

इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 9 दिसम्बर 1972 को लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। इस अधिनियम को जम्मू–कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया गया। इस अधिनियम को वर्ष 1982 तथा 1986 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम में सात अध्याय, छह अनुसूचियां तथा 66 धाराएं हैं।

इस अधिनियम के उद्देश्य तथा विशेषताएं निम्न हैं :–

1. इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण व प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
2. अनुसूची I,II,III में वर्णित वन्य जीवों का शिकार प्रतिबन्धित है (धारा 9)। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी खतरनाक वन्य जीव का वध करता है तो वह दण्डनीय अपराध नहीं माना जायेगा। (धारा 11)
3. विशेष प्रयोजन जैसे शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध हेतु किसी वन व पशु के शिकार के लिए अनुज्ञा प्रदान करने का प्रावधान है। (धारा 12)
4. विनिर्दिष्ट पौधों (Specified plants) को तोड़ने, जड़ से उखाड़ने आदि प्रतिषेध (prohibition) है (धारा 17 क)। विशेष कार्यो के लिए (वैज्ञानिक अनुसंधान आदि) अनुज्ञा प्राप्ति का प्रावधान है (धारा 17 ख)। बिना अनुज्ञा प्राप्त किये विनिर्दिष्ट पौधों की खेती करना (धारा 17 ग) या व्यापार करना (धारा 17 घ) प्रतिषिद्ध (Prohibited) है।
5. वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य (Santuary) घोषित कर सकती है। कुछ विशिष्ट लोगों को छोड़ कर अभ्यारण में प्रवेश प्रतिबन्धित है।
6. अभ्यारण में विनाश करना, आग लगाना, हथियार के साथ प्रवेश, घातक पदार्थ का उपयोग आदि प्रतिबन्धित है।
7. केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शाक्तियों का प्रावधान है। (धारा 88)
8. इस अधिनियम में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।
9. वन्य जीवों को शासन की सम्पति घोषित किया गया है। (धारा 39)
10. बिना अनुज्ञप्ति के ट्राफी और पशु वस्तु के व्यापार पर प्रतिबन्ध है। (धारा 44)
11. वन्य जीवों का शिकार, दोषपूर्वक अभिग्रहण या उपबन्धों का उल्लंघन करने पर उसे 5 वर्ष तक का कारावास व 5 से 25 हजार रूपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है।
12. अपराध को पकड़ने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में सहायता देने वालों को पारितोषिक (मुआवजा की राशि का 20 प्रतिशत तक) का प्रावधान है।
13. यह अधिनियम केन्द्र शास्ति अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों को प्रदत्त शिकार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। (धारा 65)

## वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

## [Forest (Conservation) Act, 1980]

पारिस्थितिकी सन्तुलन में वनों के महत्व को देखते हुए वर्ष 1858 में वानिकी विभाग (Department of Forestry) की स्थापना की गयी। इसके अगले वर्ष में प्रथम भारतीय वन अधिनियिम (Indian Forest Act) पारित हुआ। इसके पश्चात् वर्ष 1878 तथा 1927 में अन्य वन अधिनियम पारित हुए। भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन संरक्षण हेतु आज भी प्रभावी है। सातवें शिड्यूल की सूची ।। में प्रविष्टि 19 के अनुसार वन संरक्षण का काम पहले राज्य सरकार के अधीन था। वनों के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए वर्ष 1976 में (42वां संशोधन) प्रविष्टि 19 को हटाकर प्रविष्टि 17–ए के द्वारा वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को दे दी गयी।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं राष्ट्रीय वन नीति, 1952 (व पुनरीक्षित राष्ट्रीय वन नीति, 1988) (National Forest Policy, 1952 and 1988) के बावजूद वनों का क्षरण जारी रहा। इस समस्या के समाधान हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 पारित हुआ जिसे बाद में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के रूप में मान्यता दी गयी। यह अधिनियम 25 अक्टूबर, 1980 को लागू किया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जम्मू–कश्मीर को छोड़कर देश के सभी अन्य प्रांतों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रभावी है। इस अधिनियम को 1988 में संशोधित किया गया। इस संशोधित अधिनियम में पांच प्रभाग बनाए गए हैं। 1988 में धारा 3 में संशोधन करके उसके साथ धारा 3A व 3B जोड़े गए हैं। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य एवं विशेषताएं निम्न हैं :–

1. ''वनोन्मूलन से पारिस्थितिकी असंतुलन व पर्यावरण का ह्रास होता है। वनोन्मूलन जो वृहद् स्तर पर जारी है, एक बड़ी चिन्ता का विषय है।'' यह कथन ही इस अधिनियम के पारित होने का मूल आधार है। अर्थात् वनोन्मूलन की प्रभावी रोकथाम करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है।
2. इस अधिनियम के प्रावधान सभी प्रकार के वनों पर लागू होंगे।
3. वनों को धनार्जन का साधन न मान कर इनको प्राकृतिक

संसाधन माना जायेगा।

4. राज्य या किसी अन्य सशक्त प्राधिकरण द्वारा वनों को अनारक्षित (dereservation) करने या वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग में लाने हेतु केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। (धारा 2)
5. ऐसी अनुमति विकास आदि कार्यो के लिए उस स्थिति में दी जा सकेगी जब समतुल्य क्षेत्र में पुनःवनीकरण की पूर्ण व्यवस्था हो।
6. इस अधिनियम के अनुबंधों का उल्लंघन किसी सरकार अधिकारी या अन्य द्वारा करने पर दण्ड का प्रावधान है।
7. इस अधिनियम में गरीब आदिवासी, जो भूमिहीन हो, के द्वारा किये गये वन भूमि के अतिक्रमण को रोकने का प्रावधान है।

## ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम–2000 (Noise Pollution [Regulation and Control] rules-2000)

आज के इस औद्योगिक युग में, निर्माण गतिविधियों, औद्योगीकरण के यंत्रों से उत्पन्न शोर, सार्वजनिक स्थानों में बन्द रहे (जनरेटर, लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम), वाहनों के शोर से मानवों पर हो रहे हानिकारक प्रभावों को विनियमित करने और वायु गुणवत्ता मानकों को बनाये रखने/नियंत्रित करने के उद्देश्य से सन् 1999 के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 528 के तहत 28 जून 1999 को ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण और विनियमन) नियम, 1999 का प्रारूप प्रकाशित किया गया। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक, वाणिज्य, आवासीय चुप्पी एवं विभिन्न क्षेत्रों को शोर मानकों के क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिए विभिन्न जोनों में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा शोर का स्तर परिवेशी वायु गुणवत्ता के नियमों के तहत निर्धारित मानकों से अधिक नहीं हो और शोर को कम करने के लिए भी उपाय किये जायेंगे। विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियों के समय भी ध्वनि प्रदूषण के सभी पहुलओं का ध्यान रखना होगा और वायु गुणवत्ता के मानकों को भी बनाये रखना पहली प्राथमिकता होगी। अस्पतालों के आसपास, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के 100 मीटर तक के क्षेत्र को चुप्पी क्षेत्र/शांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जहाँ ध्वनि प्रदूषण के मानक रात्रि में (10 db) से अधिक होने पर सक्षम संस्था को शिकायत कर सकेगा। ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक इस प्रकार हैं (तालिका 3.1)–

तालिका 3.1 : ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

| क्षेत्र का कोड | क्षेत्र/परिक्षेत्र का प्रवर्ग | डी बी (ए) लैक में सीमा* | |
|---|---|---|---|
| | | दिन का समय | रात का समय |
| (क) | औद्योगिक क्षेत्र | 75 | 70 |
| (ख) | वाणिज्य क्षेत्र | 65 | 55 |
| (ग) | आवासीय क्षेत्र | 55 | 45 |
| (घ) | शान्त परिक्षेत्र | 50 | 40 |

* डेसीबल (db) ध्वनि मापने का एकक है।

## राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कानून (National Green Tribunal Law, 2010)

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों को त्वरित गति से सुलझाने के लिए प्राधिकरण कानून की भारतीय संसद ने 2010 में बनाया। इसका मुख्य ध्येय नागरिकों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। 18 अक्टूबर 2010 को न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंत को इसके प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

इसके हरित प्राधिकरण का मुख्य क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ इससे संबंधित सभी मुद्दे को शामिल किया गया जिससे कि न्यायपालिका पर पड़ रहे बोझ को कम किया जा सके। इसका सेवा क्षेत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के साथ–साथ अन्य प्रकार के सिविल विधियों से भी मुक्ति दिलाना है। किसी भी प्रकार के आवेदन/अपील की निस्तारण का समय सीमा 6 माह रखी गई है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय देश के पांच शहरों में है जो कि क्रमशः भोपाल, पूना, कोलकता एवं चेन्नई है।

विश्व में इस तरह का प्राधिकरण बनाने वाला भारत तीसरा देश है। इसके अलावा केवल आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड में ही ऐसे न्यायालय है।

इस प्राधिकरण में दस विषय विशेषज्ञ और दस न्यायिक सदस्य होते हैं जो कि 20 तक हो सकते हैं। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वे भी एक सदस्य के रूप में काम करते हैं। बाकी सदस्यों का चयन एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति करती है। जो कि सचिव स्तर के पद से नीचे नहीं हो सकता तथा उन्हें न्यूनतम पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो या उस क्षेत्र में विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त की हो।

इस तरह यह प्राधिकरण वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण के रूप में कई कृत्यों के मामलों के साथ जल, वायु प्रदूषण की रोकथाम की सुनवाई करने में भी सक्षम है।

## पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Legislation for Environmental Protection)

राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने पर्यावरण के संरक्षण हेतु विभिन्न कानूनों का निर्माण किया है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई भी आयोग नहीं है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई नियम बना सके। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली को सभी समूहों की सहमति पर निर्भर होना पड़ता है। बहुद्देशीय स्तर पर कुछ मुद्दों का संबोधन उन नीतियों, समझौतों एवं संधियों का मिलाजुला कार्य है जिन्हें हम अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के नाम से जानते हैं।

इन कानूनों एवं नियमों की पालना सभी स्वेच्छा से करते हैं। यह सहमति प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों के माध्यम से पारित होती है, जिस पर विभिन्न देशों की सहमति होती है। ये सभी देश पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। यह समझौता एक ढांचा प्रदान करता है, जिसका सम्मान प्रत्येक प्रतिनिधि देश को करना पड़ता है। प्रत्येक प्रतिनिधि देश का यह कर्तव्य है कि अपनी राष्ट्रीय कानून प्रणाली के माध्यम से इस समझौते को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करे। इन समझौतों के सहयोग हेतु कभी–कभी प्रोटोकॉल भी बनाने पड़ते हैं।

प्रोटोकॉल एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सहमति है जो स्वयं अपने बल पर खड़ी होती है, परन्तु इसका वर्तमान समझौते से भी गहरा संबंध होता है। प्रोटोकॉल समझौतों में दी गई जानकारी पर आगे नई बातों का विकास करता है।

### मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल–1987 (Montreal Protocol-1987)

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ओजोन परत में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्षय को रोकने के लिए 16 सितम्बर 1987 को बनी थी। यह संधि विभिन्न सदस्य देशों के बीच में 1 जनवरी 1989 को हेल्सिंकी में प्रभावी हुई। तब से आज तक इस संधि में 8 बार संशोधन हो चुके हैं। यह संशोधन क्रमशः लंदन (1990), नैरोबी (1999), कोपनहेगन (1992), बैंकाक (1933), वियना (1995), मॉन्ट्रियल (1997), ऑस्ट्रेलिया (1998), बीजिंग (1999) और मॉन्ट्रियल (2007)।

इस समझौते के फलस्वरूप ही अण्टार्कटिका में हुआ ओजोन छिद्र धीरे–धीरे ठीक हो रहा है। जलवायु अनुमानों से संकेत मिलता है कि ओजोन परत का स्वरूप 2050–2070 के बीच 1980 के ओजोन स्तर पर पुनः आ जायेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के आपसी सहयोग का एक अनुपम उदाहरण है और विश्व की सबसे सफल संधि है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल आपसी मतभेदों के कारण सफल नहीं हो सका था क्योंकि जहाँ तक ओजोन परत के खतरे का प्रश्न है वैज्ञानिक आम सहमति से पहले ही विश्व समुदाय में इसके लिए आम सहमति बननी शुरू हो गयी थी। विश्व समुदाय भी इससे होने वाले खतरों के  बारे में जानने लगा था। अब तक दो ओजोन संधियाँ हो चुकी हैं जिनकी सहमति 197 देशों के साथ ही कई संघों ने की है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे सफल संधि के रूप में जानी जाती है।

### क्योटो प्रोटोकॉल–1997 (Kyoto Protocol-1997)

क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जो कि जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के मानकों के अनुरूप विभिन्न देशों को गैस उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्यों को बाध्य करती है।

यह जानते हुए कि आज के इस औद्योगिक युग में विकसित देश ही मुख्य रूप अत्यधिक गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। यह समझौता जापान के शहर क्योटो में 11 दिसम्बर 1997 को हुआ और प्रभावी रूप 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। इसके अन्तर्गत 37 देशों के साथ ही यूरोपीय संघ ने तय किया कि वे मौजूदा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 18 प्रतिशत तक कमी लायेंगे और सन् 2020 तक इस गैस उत्सर्जन को सन् 1990 के गैस उत्सर्जन स्तर तक लाने में सक्षम होंगे।

इसी संधि को कुछ नये आयामों के साथ दोहा समझौता किया गया। साथ ही कुछ गैसों के नामों में संशोधन किया गया। यह समझौता 8 दिसम्बर 2012 को हुआ।

### स्टॉकहोम सम्मेलन (Stockholm Conference)

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संभावित खतरों से विश्व में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 3–16 जून, 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे स्टॉकहोम पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, 1972 के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण घोषणाओं को स्वीकृत किया गया। इसके प्रमुख दो भाग थे जिसके प्रथम भाग में मनुष्य व उसके पर्यावरण के संबंध में ज्ञात सत्यों की घोषणा है और द्वितीय भाग में 26 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नानुसार है–

(i) पृथ्वी के सभी संसाधनों जिसमें जल, वायु, स्थल, जीव जन्तु तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार शामिल है, उनका संरक्षण, उचित प्रबन्धन एवं विचारपूर्ण योजनाओं के माध्यम में वर्तमान व भावी पीढ़ी के हित में किया जाना चाहिए।

(ii) मनुष्य को स्वच्छ व उपयुक्त पर्यावरण में स्वतंत्रता, समानता एवं जीवन की पर्याप्त स्थितियों का मूल अधिकार है। यह

अधिकार उसे गरिमापूर्ण व स्वस्थ जीवनयापन की अनुमति प्रदान करता है। उसे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा व सुधार करने का दायित्व भी प्रदान करता है।

(iii) सभी प्रांत मानव स्वास्थ्य प्रति खतरा उत्पन्न करने, जीवित संसाधनों, समुद्री जीवन को हानि पहुँचाने, समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए सभी सम्भव कदम उठायेंगे।

(iv) सभी प्रांतों को उनकी पर्यावरणीय नीतियों के अनुरूप संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। लेकिन उनका यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी है कि उनके अधिकार या नियंत्रण में लेने वाले क्रियाकलापों से उन राज्यों से या उनकी सीमा के बाहर के क्षेत्रों के पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचायेंगे।

(v) प्रांत अपने अधिकारों तथा नियंत्रण के अन्तर्गत किये गये कार्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरण क्षति से पीड़ितों के लिए दायित्व के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को आगे विकास करने में सहयोग करेंगे।

इस स्टॉकहोम सम्मेलन की तुलना विचारकों ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से की है तथा विचार प्रकट किया है कि यह नैतिक संहिता के रूप में पेश किया गया एक घोषणा पत्र है जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य में मानव के क्रियाकलापों पर नियंत्रण व प्रभाव रहेगा।

स्टॉकहोम संगोष्ठी में 114 राष्ट्रों ने भाग लिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया था तथा भारत के लिए एक विशिष्ट पर्यावरण नीति की घोषणा की थी। हालांकि भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उदय 3 दिसम्बर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुआ। पर्यावरणविदों, सरकारी निकायों, स्वेच्छिक संगठनों ने इस बात को महसूस किया कि मानव को पर्यावरण की सीमाओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। प्रकृति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने से उसकी जान–माल की हानि की पूर्ण संभावना रहेगी। पर्यावरण को सुरक्षित करके ही अपने आप को सुरक्षित रखना होगा।

## रामसर समझौता (Ramsar Convention)

यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता 2 फरवरी 1971 में पारित हुआ था जो आर्द्र भूमि के संरक्षण का सदुपयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने इसमें सूत्रधार की भूमिका का निर्वहन किया। भारत ने इस समझौते पर 1981 में अपने हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य कार्यालय रामसर ब्यूरो ग्लाण्ड, स्विटजरलैण्ड में स्थित है।

इस समझौते के उद्देश्य में मुख्य रूप से जलीय भूमि की हानि को रोकना, पेड़–पौधों और पशुओं और उनसे संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का संरक्षण करना है। इस समझौते के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है–

(i) एक या अधिक आर्द्र भूमि वाले स्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थलों की सूची में सम्मिलित करना।

(ii) आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

(iii) मेन्ग्रोव पादप स्थलों के बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(iv) समझौता लागू करने हेतु अन्य प्रांतों से सलाह कर, दो या अधिक देशों के मध्य पड़ने वाली आर्द्र भूमि, आपस में वितरित होने वाली नदी, जलाशय आदि जल व्यवस्थाएं एवं प्रजातियों के भाग के संबंध में निर्णय करना।

(v) आर्द्र भूमि क्षेत्रों की योजनाओं के विकास के संबंध में चर्चा करना।

(vi) आर्द्र क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान एवं संचालन प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना।

(vii) वाटर फाउल के लाभ के लिए जलीय क्षेत्रों के संचालन समझौते में सूचना निर्धारित करना।

(viii) आर्द्र भूमि रिजर्व स्थलों की स्थापना करना।

भारत में अब तक लगभग 25 रामसर आर्द्र भूमि स्थल चिन्हित किये जा चुके हैं जो विभिन्न राज्यों उड़ीसा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में स्थित है। भारत में पांच सबसे बड़ी आर्द्र भूमि एवं रामसर स्थल है जो वेम्बानद, चिलका, कोलेक, अस्थामुडी एवं लोकटक झील है।

## पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit)

3–14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एवं विकास अधिवेशन (UNCED) की महत्वपूर्ण संधि की पहल को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिवेशन भागीदार देशों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि मानव द्वारा छोड़ी जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के ऐसे स्तर को संचालित रख सके जो पर्यावरण व्यवस्था के साथ अधिक हस्तक्षेप न कर सके। इस सम्मेलन में 172 देशों तथा 2400 गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों ने अपना प्रतिनिधित्व किया।

इस सम्मेलन में पर्यावरण की दीर्घोपयोगी विकास की अवधारणा को विकसित करने पर बल दिया गया था। इस समझौते पर 150 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किये थे। भारत ने 1994 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव निम्न प्रकार थे–

(i) मानव जाति दीर्घोपयोगी विकास के केन्द्र है तथा प्रकृति के साथ मानव स्वस्थ एवं उत्पादकता वाला जीवन जीने का हकदार है।

(ii) सभी प्रांत गरीबी दूर करने में एक दूसरे का सहयोग करे।

(iii) समस्त मानवों का अधिकार है कि वे स्वयं के विकास हेतु सामान्य संतोषप्रद पर्यावरण में वास करे।

;iv) सभी मनुष्य संसाधनों को न्यायोचित प्रयोग करे। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे।

(v) सभी प्रांत पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्देशों को जनमानस में पहुँचाए।

(vi) प्रांत पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों का सख्ती से पालना कराए।

(vii) पर्यावरणीय प्रदूषण के स्त्रोतों का पता लगाकर उनके नियंत्रण द्वारा प्रदूषण को कम या सीमित करे।

(viii) मनुष्य का अधिकार है कि वह अच्छी गुणवत्ता वाले पर्यावरण में वास करे जहाँ उसका जीवन स्तर उच्च किस्म का हो।

(ix) जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम कर ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का उपयोग करे। इससे प्रदूषण कम होने के साथ–साथ ऊर्जा संरक्षण भी होगा।

(x) जन यातायात के साधनों के प्रयोग में सावधानी बरतकर प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए।

## पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधाएं

## (Issues Involved in Enforcement of Environmental Legislation)

जैसा कि ऊपर वर्णित है, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण सूरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण आदि से सम्बन्धित अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं। लेकिन इन अधिनियमों को लागू करने में अनेक बाधाएं आती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :–

1. बढ़ती हुई जनसंख्या : अधिक जनसंख्या दबाव के कारण पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए बहुत अधिक धन, समय तथा जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अधिक जनसंख्या अपने आप में पर्यावरणीय कानूनों के लागू करने में सबसे बड़ी बाधक है।
2. अशिक्षाः पर्यावरण कानूनों को लागू करने में शिक्षा की बड़ी अहम् भूमिका होती है। विकासशील देशों में जहां शिक्षा का स्तर बहुत कम है वहां पर्यावरण कानूनों को लागू करने मे अधिक बाधाएं आती हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति इन कानूनों के महत्त्व को नहीं समझता।
3. अनभिज्ञताः अनेक शिक्षित लोग भी पर्यावरणीय कानूनों से अनभिज्ञ हैं। अतः पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए शिक्षित लोगों को भी इन कानूनों का ज्ञान कराना आवश्यक है। इसके लिए इन कानूनों के अर्थ व महत्त्व का व्यापक प्रचार–प्रसार आवश्यक है।
4. पर्याप्त कानून का अभावः वैसे तो पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण हेतु अनेक कानून बनाये गये हैं, फिर भी वन व वन्य जीवों के उपयोग व व्यवसाय, जलाशयों को गन्दा करने से रोकने, खनन आदि से सम्बन्धित मामलों में पर्याप्त कानूनों का अभाव है। कुछ मामलों में कानूनों में खामियां भी हैं, लोग जिसका अनुचित फायदा उठाते है।
5. आर्थिक कारण : अधिक लाभार्जन के लालच में गलत तरीके से संसाधनों का दोहन होता है। हमारे देश में थोड़े से पैसों की रिश्वत देकर किसी अधिकारी से गलत तरीके से अनुमति प्राप्त कर लेना एक आम बात हो गयी है। छोटे उद्योगों में आर्थिक तंगी के कारण अपशिष्टों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। बड़े–बड़े उद्योगपति तथा तस्कर धन के लालच में कानूनी खामियां का फायदा उठाते हैं।
6. धार्मिक रीति–रिवाज : विभिन्न धार्मिक आयोजनों के तहत् मूर्तियों, ताजियों, पूजा, सामग्री आदि को जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस प्रकार के मुद्दे चूंकि जनभावना से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें पर्यावरणीय कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता।

## महत्वपूर्ण बिन्दु

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 19 नवम्बर 1986 से लागू है। जिसमें चार अध्याय एवं 26 धाराएं हैं।
2. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 16 मई 1981 से लागू है जिसमें 7 अध्याय एवं 54 धाराएं लागू हैं।
3. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 23 मार्च, 1974 से 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया। जिसे 1978 व 1988 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम में 8 अध्याय एवं 64 धाराएं हैं।
4. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 दिसम्बर, 1972 में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह पूरे देश में लागू है। इसे 1982 एवं 1986 में संशोधित किया गया। इसमें 7 अध्याय, 6 अनुसूचियाँ एवं 66 धाराएं हैं।
5. वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर, 1980 में लागू किया गया। जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में प्रभावी है।
6. प्रोटोकॉल वह अन्तर्राष्ट्रीय सहमति है जो स्वयं पर निर्भर होने के साथ–साथ किसी वर्तमान समझौते या संधि से भी संबंधित है।

7. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित ओजोन की परत को क्षीण करने वाले पदार्थों की मात्रा को कम या बिल्कुल समाप्त करना है।
8. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में क्योटो में दिया गया जिसमें 38 औद्योगिक देशों को कार्बन उत्सर्जन को 2008–12 के मध्य 5.2 प्रतिशत औसत के अनुसार 1990 के स्तर पर लाने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य किया गया।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51–ए में 42वां संशोधन पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप देता है।
10. भारतीय संविधान का 48–ए अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करे बल्कि देश के वनों और वन्य जीवों का भी संरक्षण करे।
11. 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मानवीय पर्यावरण से संबंधित था जो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। इसके पश्चात् भारत में पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
12. जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं उपचार और जल की स्वच्छता व पेयता को कायम रखना है।
13. 5 जून 1992 को संयुक्त राज्य संघ के पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में हुआ था जो जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित था।
14. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों को लागू करने में अशिक्षा, बढ़ती जनसंख्या, अनभिज्ञता, पर्याप्त कानूनों का अभाव, धार्मिक रीति–रिवाज जैसी प्रमुख बाधाएं हैं।

## अभ्यासार्थ प्रश्न

### बहुचयनात्मक प्रश्न (Multiple Choice Questions)

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
   (अ) 19 नवम्बर 1986 (ब) 2 दिसम्बर 1984
   (स) 27 मई 1964 (द) 16 मई 1981
2. पर्यावरण संरक्षण में कितने अध्याय व धाराएं हैं–
   (अ) 7 अध्याय 54 धाराएं
   (ब) 4 अध्याय 26 धाराएं
   (स) 5 अध्याय 46 धाराएं
   (द) 2 अध्याय 21 धाराएं
3. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम सर्वप्रथम कब लागू हुआ–
   (अ) 23 मार्च 1974 (ब) 19 नवम्बर 1986
   (स) 9 दिसम्बर 1972 (द) 25 अक्टूबर 1980
4. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ–
   (अ) 23 मार्च 1974 (ब) 2 दिसम्बर 1984
   (स) 9 दिसम्बर 1972 (द) 25 अक्टूबर 1980
5. वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ–
   (अ) 1954 (ब) 1972
   (स) 1978 (द) 1980
6. भारत में वानिकी विभाग की स्थापना कब हुई–
   (अ) 1852 (ब) 1858
   (स) 1878 (द) 1927
7. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ–
   (अ) 16 मई 1981 (ब) 9 दिसम्बर 1972
   (स) 23 मार्च 1974 (द) 2 दिसम्बर 1984
8. प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ–
   (अ) 1858 (ब) 1859
   (स) 1878 (द) 1952
9. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत के किस राज्य में लागू नहीं है–
   (अ) पश्चिमी बंगाल (ब) जम्मू–कश्मीर
   (स) आसाम (द) केरल
10. पर्यावरण कानून को लागू करने में प्रमुख बाधाएं है–
    (अ) बढ़ती जनसंख्या
    (ब) अशिक्षा
    (स) धार्मिक रीति–रिवाज
    (द) उपरोक्त सभी
11. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत भारत सरकार को किसी क्षेत्र विशेष को अभ्यारण या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार है–
    (अ) धारा 39 (ब) धारा 44
    (स) धारा 65 (द) धारा 88
12. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य माना गया है–
    (अ) अनुच्छेद 21 (ब) अनुच्छेद 48–क
    (स) अनुच्छेद 49 (द) अनुच्छेद 51–क
13. पृथ्वी सम्मेलन कहाँ सम्पन्न हुआ–
    (अ) पेरिस (ब) जेनेवा
    (स) रियो डी जनेरियो (द) जापान
14. जैव विविधता अधिवेशन कब हुआ–
    (अ) 5 जून 1992 (ब) 2 दिसम्बर 1997
    (स) 29 दिसम्बर 1993 (द) 6 मई 1987
15. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है–
    (अ) जैव विविधता संरक्षण

(ब) ओजोन परत संरक्षण

(स) वन्यजीव संरक्षण

(द) वन संरक्षण

16. जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है–

(अ) जल की स्वच्छता एवं पेयता कायम रखना

(ब) जल प्रदूषण का नियंत्रण करना

(स) जल प्रदूषकों का उपचार करना

(द) उपरोक्त सभी

## अति लघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answered Questions)

1. भारतीय संविधान के 48–क में क्या प्रावधान है?
2. भारतीय संविधान के 51–क अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है?
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है व कब लागू हुआ?
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कोई चार धाराएं लिखिए।
5. वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ?
6. वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम की कोई चार धाराएं लिखिए।
7. जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ तथा इसका संशोधन कब–कब हुआ?
8. जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं लिखिए।
9. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब व कहाँ लागू हुआ?इसका संशोधन कब–कब हुआ?
10. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है?
11. वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ तथा भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी?
12. वन संरक्षण अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या है?
13. पर्यावरण कानूनों को लागू करने में आने वाली प्रमुख तीन बाधाएं कौनसी हैं?
14. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है?
15. शोर प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ?
16. स्टॉकहोम सम्मेलन की प्रमुख थीम क्या थी?
17. क्योटो प्रोटोकॉल का प्रमुख निष्कर्ष क्या था?
18. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया?
19. पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ?इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
20. प्रोटोकॉल क्या है?

## लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answered Questions)

1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. क्योटो प्रोटोकॉल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. वन संरक्षण अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए।
4. जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम की प्रमुख धाराओं पर लेख लिखिए।
5. वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
6. भारतीय संविधान के किन विभिन्न अनुच्छेदों में पर्यावरण की सुरक्षा व विकास का प्रावधान है?वर्णन कीजिए।
7. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए?
8. शोर प्रदूषण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है?वर्णन कीजिए।
9. स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?सम्मेलन में क्या प्रस्ताव पारित किये गए?
10. पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

## निबन्धात्मक प्रश्न (Long Answered Questions)

1. भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित अधिनियमों को विस्तार से समझाइए?
2. भारत में जल, वायु एवं शोर प्रदूषण संबंधी अधिनियमों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
3. जलवायु अधिवेशन क्या है?वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए हुए प्रयासों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
4. पर्यावरण कानूनों को लागू करने में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए।
5. निम्न पर टिप्पणी लिखिए–

(अ) राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल अधिनियम

(ब) पृथ्वी सम्मेलन

(स) क्योटो प्रोटोकॉल

(द) पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम

**उत्तरमाला:** 1 (अ) 2 (ब) 3 (अ) 4 (स) 5 (द) 6 (ब) 7 (अ) 8 (ब) 9 (ब) 10 (द) 11 (द) 12 (द) 13 (स) 14 (अ) 15 (ब) 16 (द)